तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/25	वकील फरीकैन उप०। प्रा० पत्र [illegible] प्रस्तुत किया जाता है कि [illegible] [illegible] में [illegible] प्रार्थना [illegible] पारित किया जावे। [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible]। [illegible] जावे [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–15/25 तारीख रजु:–7.04.25

1. दिनेश शर्मा पुत्र मिश्रीलाल उम्र 50 साल जाति ब्राहमण निवासी कसारा हाल निवासी संतोषी माता का मन्दिर करौली तहसील व जिला करौली
2. श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि मानसिंह उम्र 35 साल जाति मीना निवासी जालोखपुरा गुरदह तहसील मण्डरायल जिला करौली राज.
3. चौथीलाल पुत्र श्योफूल उम्र 32 साल जाति मीना निवासी चैनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राज.
4. रमेशचन्द पुत्र बाबू उम्र 48 साल जाति प्रजापत निवासी चैनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

–––प्रार्थीयान

बनाम

1. फजलू रहमान पुत्र इमामबक्श जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली राज. मृतक

1/1. अशफाक
1/2. शब्बीर
1/3. तौफीक
1/4. असलम
1/5. अकरम

पुत्रान फजलू रहमान जाति मुसलमान निवासी हाल गणेश गेट करौली तहसील व जिला करौली

2. शहबुद्दीन पुत्र इमाम बक्स जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली
3. शमसुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली। मृतक।

3.1. जब्बार
3.2. बबली
3.3. रिंकू
3.4. हीरो
3.5. लड्डू

पुत्रान शमसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी हाल गणेश गेट करौली तहसील व जिला करौली

4. बाबुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली

4.1. पिन्टू
4.2. कुच्चा

पुत्रान बाबूद्दीन

4.3. चुन्नू
4.4. गेच्चू

पुत्रान बाबूद्दीन

4.5. अकतरी पत्नि स्व. बाबुद्दीन

जाति मुसलमान निवासी हाल मेला गेट करौली तहसील व जिला करौली राज.

5. सिराजुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली
6. महमूद पुत्र इमामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली तहसील व जिला करौली
7. नित्यानंद पुत्र गजानंद उम्र 50 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

8. राकेश पुत्र बलराम
9. मधुबाला पुत्री बलराम
10. बृजेश सोनी पुत्र भरोसीलाल जाति स्वर्णकार निवासी करौली तहसील व जिला करौली
11. फारूक कुरैशी पुत्र अजीज कुरैशी उम्र 40 साल जाति मुसलमान निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली
12. जियाउल्ला खांन पुत्र रजाउल्ला खांन आयु 40 साल जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
13. नगरपरिषद् करौली जिला करौली राज. आयुक्त नगरपरिषद् करौली तहसील व जिला करौली
14. बालकृष्ण शर्मा पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी धाधूपुरा तहसील व जिला करौली राज.

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर टी एक्ट मु. न. 10/21
प्रार्थना पत्र ओ. 9 रूल 4,7 व 151 सी.पी.सी.

—::निर्णय::—

दिनांकः— 14-10-2025

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 10 बृजेश कुमार सोना की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.4.21 निरस्त करते हुऐ प्रकरण में पारित आदेश दि. 10.6.21 अपास्त किये जाने हेतु प्रकरण में प्रार्थी को अप्रार्थी सं.10 के रूप में पक्षकार बनाया गया है जिस पर नोटिस की तामील व्यक्तिशः कराये वगैर चस्पानदगी से तामील कराये जाने के आधार पर कतई नियम विरूद्व गैरकानूनी रूप से तामील पर्याप्त मानकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.4.21 को पारित करते हुऐ आदेश दिनांक 10.6.2021 पारित किया गया है जो कतई अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा तामील कुनिन्दा से साजकर अपने दो मिलने वाले व्यक्तियो के हस्ताक्षर कराकर चस्पादंगी से तामील कतई असत्य कराई गई है जिन तथाकथित व्यक्तियों के हस्ताक्षर तामील अप्रार्थी पर कराइ गई है वह ना तो अप्रार्थी बृजेश सोनी के पडौसी है ना उनका कोई मकान उसके पास स्थित है सम्मन में अप्रार्थी का पता करौली अंकित है जबकि करौली शहर काफी बडा सैकडों मोहल्ले व कॉलोनी बनी हुई है किस स्थान, किस मोहल्ले में स्थित मकान बृजेश सोनी पर तामील कराने तामील कुनिन्दा गया दर्ज ना होने के कारण प्रथम दृष्टया तामील कतई फर्जी कराई गई है एकपक्षीय आदेश निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी बृजेश के घर में 5 सदस्य हमेशा पत्नि पुत्री—पुत्र घर पर मौजूद रहते है यदि वास्तव में तामील कुनिन्दा उसके घर सम्मन देने जाता तो उक्त लोग उसे अवश्य मिलते और किसी भी व्यस्क पुरूष/महिला पर सम्मन की तामील कराई जाती उनके द्वारा तामील प्राप्त करने से इन्कार करने के पश्चात खुले मकान पर चस्पादगी का प्रावधान कानून में वर्णित है इस प्रकार तामील कुनिन्दा ने ओ.5 रूल 15 व ओ. 5 रूल 17 सी पी सी के प्रावधानों की अवहेलना करते हुऐ फर्जकारी पूर्णतरीके से तामील कराई गई है अप्रार्थी के मकान को किसी व्यक्ति ने पहिचान किया दर्शित नहीं है ऐसी अवस्था में विधि के विपरित तामील कुनिन्दा ने कराई है जिस आधार पर एकपक्षीय आदेश कतई गैरकानूनी तरीके से पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि संब[illegible] पर निहित है जिनके विषय में प्रार्थी बृजेश को जवाबदेही व साक्ष्य [illegible] प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिससे [illegible] पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके और स्थिति स्पष्ट न्यायालय पटल पर आ सके इसलिये एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.4.21 व निर्णय दिनांक 10.6.21 न्यायालय हाजा निरस्त [illegible] योग्य है मामला जवाब व सुनवाई का अवसर उसे प्रदान कर पुनः निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुऐ यह भी गौर नही किया है कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है अथवा नहीं इस संबंध में कोई साक्ष्य आवेदक की रिकार्ड पर नहीं है तथा खातेदारी की भूमि पर आने जाने साधन लाने ले जाने हेतु 30 फुट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं इस बिन्दु पर भी कोई गौर नहीं किया जबकि कृषि साधन ट्रेक्टर हल बेल लाने ले जाने हेतु 8—10 फुट का रास्ता पर्याप्त होता है जिससे व्यक्ति अपने खेतों

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.04.20 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

पर आ जा सकता है आवेदक द्वारा जो मांगा वह आंख मीच कर वगैर किसी साक्ष्य के निर्णय पारित कर दिया है जो कतई अवैध व अनुचित गैरकानूनी होने से भी निरस्तनीय है जबकि जिला मुख्यालय पर भी कॉलोनियों के रास्ते 30 फुट चौडे व आम सडक शहर करौली की नही है इस प्रकार यदि आवेदक 100 फुट मांगता तो न्यायालय 100 फुट रास्ता दे देती ऐसा हनी है कानून में समस्त परिस्थितियों पर विचार कर रास्ता दिया जाता है जिन्हे अनदेखा करके आदेश दिनांक 12.4.21 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जिला पुलिस लाईन करौली की भूमि में से रास्ता दिया गया है उन्हे प्रकरण में पक्षकार तक नही बनाया गया है वगैर पुलिस लाईन करौली को पक्षकार बनाये रास्ता देने वावत निर्णय करने में गम्भीर त्रुटि न्याया. न की है निर्णय निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिनांक 20.2.25 को देने पर कि तुम्हारी खाते की भूमि में से रास्ता उपखण्ड अधिकारी करौली ने आवेदगिण के खेतों को जाने हेतु दे दिया है इस पर सर्वप्रथम जानकारी होते ही उपखण्ड कार्यालय में मालूमात करके उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसकी नकल दिनांक 3.3.25 को व कुछ नकले आदेश पंजिका आदेश व नकल सम्मन दिनांक 19.3.25 को प्राप्त होने पर अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद 30 दिवस पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.4.21 व निर्णय दिनांक 10.6.21 मंसूखा करते हुऐ प्रार्थी को जवाबदेही व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते पुनः निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी अप्रार्थी नं.10 के रूप में पक्षकार बनाया जाना एवं प्रार्थी की तामील चस्पान्दगी से होना एवं दि0 12/4/21 को एकपक्षीय आदेश पारित होने के बाद दिनांक 10/6/21 को निर्णय अंतिम होना स्वीकार है। तामील विधिवत हुयी है एकपक्षीय आदेश व एक पक्षीय निर्वाध वैध है जिनके अवैध होने का कोई प्रश्न नही हैं। न्यायालय हाजा को एक पक्षीय कार्यवाही व निर्णय को निरस्त करने का अधिकार नही है प्रकरण का अंतिम निस्तारण हो जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। तामील कुनिंदा द्वारा अप्रार्थी क.10 प्रार्थी बृजेश की विधिवत तामील करायी गयी है जिसका फर्जी होने का कोइ प्रश्न नही है। निरस्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी की तामील चस्पांदगी से विधिवत हुयी है। प्रकरण का अंतिम निर्णय दि0 10/6/21 को हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नही हैं। ओदश दि0 12/4/21 व दि0 10/6/21 विधिवत है। जिनकी कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रार्थी द्वारा नहीं की गयी है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी विधि प्रावधानों के अनुसार चहने योग्य नहीं हैं। न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। जिसे दर0 हाजा के तहत अयास्त करने का विधिक अधिकार नही है। प्रकरण में आदेश 9, नियम 4,7 आदि के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। प्रकरण में सभी का विधिवत आयश्यक पक्षकरने को पक्षकार बनाया गया है। और न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत निर्णय पारित कि[illegible] प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी का प्रकरण के निर्णय की जानकारी निर्णय दिवस से [illegible] 20/2/25 को जानकारी होना गलत दर्ज किया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा [illegible] योग्य नही हैं और खारिज किये जाने योग्य हैं। अंत प्रार्थना–पत्र खारिज किये [illegible] निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.20 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्राथी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी सं. 10 बृजेश कुमार सोना की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.4.21 निरस्त करते हुऐ प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पारित आदेश दि. 10.6.21 अपास्त किये जाने हेतु प्रकरण में प्रार्थी को अप्रार्थी सं.10 के रूप में पक्षकार बनाया गया है जिस पर नोटिस की तामील व्यक्तिशः कराये वगैर चस्पानदगी से तामील कराये जाने के आधार पर कतई नियम विरूद्व गैरकानूनी रूप से तामील पर्याप्त मानकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.4.21 को पारित करते हुए आदेश दिनांक 10.6.2021 पारित किया गया है जो कतई अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा तामील कुनिन्दा से साजकर अपने दो मिलने वाले व्यक्तियो के हस्ताक्षर कराकर चस्पादंगी से तामील कतई असत्य कराई गई है जिन तथाकथित व्यक्तियों के हस्ताक्षर तामील अप्रार्थी पर कराइ गई है वह ना तो अप्रार्थी बृजेश सोनी के पडौसी है ना उनका कोई मकान उसके पास स्थित है सम्मन में अप्रार्थी का पता करौली अंकित है जबकि करौली शहर काफी बडा सैकडों मोहल्ले व कॉलोनी बनी हुई है किस स्थान, किस मोहल्ले में स्थित मकान बृजेश सोनी पर तामील कराने तामील कुनिन्दा गया दर्ज ना होने के कारण प्रथम दृष्तया तामील कतई फर्जी कराई गई है एकपक्षीय आदेश निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी बृजेश के घर में 5 सदस्य हमेशा पत्नि पुत्री–पुत्र घर पर मौजूद रहते है यदि वास्तव में तामील कुनिन्दा उसके घर सम्मन देने जाता तो उक्त लोग उसे अवश्य मिलते और किसी भी व्यस्क पुरूष/महिला पर सम्मन की तामील कराई जाती उनके द्वारा तामील प्राप्त करने से इन्कार करने के पश्चात खुले मकान पर चस्पादगी का प्रावधान कानून में वर्णित है इस प्रकार तामील कुनिन्दा ने ओ.5 रूल 15 व ओ. 5 रूल 17 सी पी सी के प्रावधानों की अवहेलना करते हुऐ फर्जकारी पूर्णतरीके से तामील कराई गई है अप्रार्थी के मकान को किसी व्यक्ति ने पहिचान किया दर्शित नहीं है ऐसी अवस्था में विधि के विपरित तामील कुनिन्दा ने कराई है जिस आधार पर एकपक्षीय आदेश कतई गैरकानूनी तरीके से पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि संबधित अधिकार निहित है जिनके विषय में प्रार्थी बृजेश को जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिससे वह अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके और स्थिति स्पष्ट न्यायालय पटल पर आ सके इसलिये एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.4.21 व निर्णय दिनांक 10.6.21 न्यायालय हाजा निरस्त होने योग्य है मामला जवाब व सुनवाई का अवसर उसे प्रदान कर पुनः निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। न्याया[illegible] पारित करते हुऐ यह भी गौर नही किया है कि मौके [illegible] कोई [illegible] है अथवा नहीं इस संबंध में कोई साक्ष्य आवेदक की [illegible] पर नहीं है तथा [illegible] की भूमि पर आने जाने साधन लाने ले जाने हेतु 30 फुट चौडा रास्ता [illegible] जाना न्यायोचित है अथवा नहीं इस बिन्दु पर भी कोई गौर नहीं किया जबकि कृषि साधन ट्रेक्टर हल बेल लाने ले जाने हेतु 8–10 फुट का रास्ता पर्याप्त होता है जिससे व्यक्ति [illegible] खेतों पर आ जा सकता है आवेदक द्वारा जो मांगा वह आंख मीच कर वगैर किसी साक्ष्य के निर्णय पारित कर दिया है जो कतई अवैध व अनुचित गैरकानूनी होने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.04.20 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

से भी निरस्तनीय है जबकि जिला मुख्यालय पर भी कॉलोनियों के रास्ते 30 फुट चौड़े व आम सडक शहर करौली की नही है इस प्रकार यदि आवेदक 100 फुट मांगता तो न्यायालय 100 फुट रास्ता दे देती ऐसा हनी है कानून में समस्त परिस्थितियों पर विचार कर रास्ता दिया जाता है जिन्हे अनदेखा करके आदेश दिनांक 12.4.21 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जिला पुलिस लाईन करौली की भूमि में से रास्ता दिया गया है उन्हे प्रकरण में पक्षकार तक नही बनाया गया है बगैर पुलिस लाईन करौली को पक्षकार बनाये रास्ता देने बावत निर्णय करने में गम्भीर त्रुटि न्यायालय ने की है निर्णय निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिनांक 20.2.25 को देने पर कि तुम्हारी खाते की भूमि में से रास्ता उपखण्ड अधिकारी करौली ने आवेदगिण के खेतों को जाने हेतु दे दिया है इस पर सर्वप्रथम जानकारी होते ही उपखण्ड कार्यालय में मालूमात करके उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसकी नकल दिनांक 3.3.25 को व कुछ नकले आदेश पंजिका आदेश व नकल सम्मन दिनांक 19.3.25 को प्राप्त होने पर अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद 30 दिवस पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.4.21 व निर्णय दिनांक 10.6.21 मंसूखा करते हुऐ प्रार्थी को जवाबदेही व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते पुनः निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी अप्रार्थी नं.10 के रूप में पक्षकार बनाया जाना एवं प्रार्थी की तामील चस्पान्दगी से होना एवं दि0 12/4/21 को एकपक्षीय आदेश पारित होने के बाद दिनांक 10/6/21 को निर्णय अंतिम होना स्वीकार है। तामील विधिवत हुयी है एकपक्षीय आदेश व एक पक्षीय निर्वाध वैध है जिनके अवैध होने का कोई प्रश्न नही हैं। न्यायालय हाजा को एक पक्षीय कार्यवाही व निर्णय को निरस्त करने का अधिकार नही है प्रकरण का अंतिम निस्तारण हो जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। तामील कुनिंदा द्वारा अप्रार्थी क.10 प्रार्थी बृजेश की विधिवत तामील करायी गयी है जिसका फर्जी होने का कोइ प्रश्न नही है। निरस्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी की तामील चस्पांदगी से विधिवत हुयी है। प्रकरण का अंतिम निर्णय दि0 10/6/21 को हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नही हैं। ओदश दि0 12/4/21 व दि0 10/6/21 विधिवत है। जिनकी कोई अपील सक्षम [illegible] प्रार्थी द्वारा नहीं की गयी है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] के अनुसार योग्य नहीं हैं। न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारों को समु[illegible]कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। जिसे दर0 हाजा के तहत अयास्त [illegible]का विधिक अधिकार नही है। प्रकरण में आदेश 9, नियम 4,7 आदि के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। प्रकरण में सभी का विधिवत आवश्यक पक्षकरने को पक्षकार बनाया गया है। और न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत निर्णय पारित किया जाना है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी का प्रकरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.20 17:28:02 IST
Reason: Self Attested

2/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

निर्णय की जानकारी निर्णय दिवस से ही है। दि. 20/2/25 को जानकारी होना गलत दर्ज किया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही हैं और खारिज किये जाने योग्य हैं। अंत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व आदेशिक दिनांक 12.4.2021 को प्रार्थी बृजेश के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एवं प्रकरण का निस्तारण दिनांक 10.06.2021 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित कर किया गया है। जिसकी कोई अपील प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। आदेश 9 नियम 4 व 7 के प्रावधान प्रकरण के न्यायालय में विचाराधीन होने के दौराने ही लागू होता है। प्रकरण का अंतिम निर्णय होने पर आदेश 9 नियम 4 व 7 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस स्तर पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आदेश 9 नियम 4 व 7 सीपीसी क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीयान क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14-10-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)